

बिहार सरकार  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक: 15/वि02-1027/2025 - 52

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, छपरा/ढाका/गोपालगंज/सासाराम/  
सीतामढ़ी/हाजीपुर/झंझारपुर/बेतिया/भागलपुर पूर्व/मधुबनी/  
मोतिहारी/शेरघाटी/तेघड़ा/बाराहाट एवं बाँका।

पटना, दिनांक:- 22.01.26

विषय:-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष-0009-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान" के विषय शीर्ष "0009.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण" के मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड-16-2515001980009 के अन्तर्गत ₹ 6335.14268 लाख (तिरेसठ करोड़ पैंतीस लाख चौदह हजार दो अड़सठ रुपये) मात्र का उप आवंटन।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष - 0009-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान" के विषय शीर्ष "0009.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण" के मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड-16-2515001980009 के अन्तर्गत ₹ 6335.14268 लाख (तिरेसठ करोड़ पैंतीस लाख चौदह हजार दो अड़सठ रुपये) मात्र का उप आवंटन संलग्न परिशिष्ट-I के स्तम्भ-8 के अनुसार किया जाता है।

2. पंचायती राज विभाग का पत्रांक-5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2021 (खंड)/36 (आ0)/प0रा0, दिनांक-18.07.2025 के द्वारा 224.3962268 करोड़ (दो अरब चौबीस करोड़ उनचालीस लाख बासठ हजार दो सौ अड़सठ रुपये) मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल होंगे, जो राशि की निकासी (BTC-42 form, grant-in-add bill) संबंधित कोषागार से CFMS के माध्यम से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

3. संबंधित लोक स्वास्थ्य प्रमंडल द्वारा इस आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (BTC-42A में)/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन नियमानुसार 18 माह के अंदर पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. इस राशि का व्यय पंचायती राज विभाग, बिहार के उपरोक्त पत्र में वर्णित निदेश के आलोक में किया जायेगा।

5. कार्य पर होने वाला व्यय उपर्युक्त शीर्षान्तर्गत भारितव्यय होगा। इस राशि की निकासी एवं व्यय उपर्युक्त आवंटित राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी संबंधित कोषागार/उपकोषागार से की जायेगी। इस राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा। राशि का उक्त आवंटन तक सीमित रहेगा एवं इसके तहत किसी तरह आदेयता (Liabilities) सृजित नहीं की जायेगी। राशि का उपयोग PRD द्वारा योजना के मरम्मति यथा बोरिंग, लिकेज मरम्मति, फेरूल मरम्मति, विद्युत संबंधी मरम्मति आदि हेतु किया जाएगा।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. योजना के परिचालन एवं रख-रखाव मद में राशि का व्यय बिहार लोक निर्माण संहिता एवं बिहार वित्त नियमावली के आलोक में किया जायेगा।

8. इस आवंटित राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. इस आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन माहवार मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
10. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में सम्भव नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2026 तक निश्चित रूप से कर दे अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाता में नहीं रखी जाय।
11. आवंटित राशि का व्यय स्थापना मद में नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।
12. प्रस्ताव पर सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
13. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।
14. इस उप आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

अनु०-यथोपरि।

*Dau m'*  
22/1/26.

(दया शंकर प्रसाद)  
मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार)

*नित्यानन्द प्रसाद*  
22/1/26

(नित्यानन्द प्रसाद)  
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)

ज्ञापांक: 15/वि02-1027/2025 - 52

दिनांक:- 22.01.26

प्रतिलिपि: अनुलग्नक सहित महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. अनुलग्नक सहित सचिव, पंचायती राज विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/आपदा प्रबंधन विभाग/कल्याण विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अनुलग्नक सहित प्रमंडलीय आयुक्त, सारण, तिरहुत, पटना, दरभंगा एवं भागलपुर/ संबंधित जिला पदाधिकारी/उप-विकास आयुक्त/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. अनुलग्नक सहित सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन)/मुख्य अभियंता (उ० बिहार /द० बिहार/अनुश्रवण)/संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/अधीक्षण अभियंता (मो०)/विशेष पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/उप निदेशक (मू०)/उप निदेशक (अन्वेषण)/ आई०टी० मैनेजर (बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु)/प्रशाखा -4, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Dau m'*  
22/1/26.

(दया शंकर प्रसाद)  
मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार)

*नित्यानन्द प्रसाद*  
22/1/26

(नित्यानन्द प्रसाद)  
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)

वितीय वर्ष 2025-26 में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को पंचायती राज विभाग (PRD) द्वारा हस्तांतरित की गईं चालू योजना के सतर् परिचालन, मरम्ति एवं रख-रखाव हेतु आवंटन की विवरणी।

क्र0 सं0	प्रमंडल का नाम	कुल PRD योजना की संख्या	लघु/वृहत मरम्ति हेतु प्रतिवर्ष ₹54372/- प्रति योजना की दर से वितीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 तक कर्णांकित राशि (लाख में)	प्रमंडलीय अधियाचना का पत्रांक एवं दिनांक	अधियाचित राशि		वितीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में मरम्ति एवं सम्भोषण हेतु पूर्व में कुल आवंटित राशि	चालू योजनाओं के सतर् संचालन एवं रख-रखाव हेतु विपत्र कोड-16-2515001980009 से वर्तमान में आवंटन की राशि	लघु/वृहत मरम्ति हेतु प्रतिवर्ष ₹54372/- प्रति योजना की दर से वितीय वर्ष 2025-26 में मरम्ति एवं सम्भोषण हेतु अबतक कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति				
					राशि (लाख में)	राशि (लाख में)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
										2670/23.12.25	272.00569			
										2669/23.12.25	173.36794			
										2668/23.12.25	42.66745			
										2667/23.12.25	262.58876			
1	खपरा	3906	5840.36838	2664/23.12.25	315.42061	2598.31001	1000.00	3598.31001						
				2665/23.12.25	49.39137									
				2666/23.12.25	24.38949									
				2675/23.12.25	128.92750									
				2674/23.12.25	189.93911									
2	बका	2541	3799.37943	1079/02.12.25	1160.00000	3168.21669	600.00	3768.21669						
				1074/29.11.25										
3	गोपालराज	2880	4306.26240	2701/03.12.25	290.02131	1777.24435	290.00	2067.24435						
				2944/25.11.25	30.89926									
				3145/20.12.25	239.77425									
				3198/27.11.25	379.77514									
				3225/03.12.25	191.77961									
4	सासाराम	2142	3202.78266	3199/27.11.25	239.93526	2415.62374	140.14268	2555.76642						
				3199/27.11.25										
				3400/26.12.25										
5	सीतामढी	3484	5209.38132	3199/27.11.25	239.93526	2794.99664	1000.00	3794.99664						
				3400/26.12.25										

क्र० सं०	प्रमंडल का नाम	कुल PRD योजना की संख्या	लघु/वृहत मरम्मति हेतु प्रतिवर्ष ₹54372/- प्रति योजना की दर से वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 तक कर्णांकित राशि (लाख में)	प्रमंडलीय अधियाचना का पत्रांक एवं दिनांक	अधियाचित राशि	वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में मरम्मति एवं सम्पाषण हेतु पूर्व में कुल आवंटित राशि	चाहू योजनाओं के सतत् संचालन एवं रख-रखाव हेतु विपन्न कोड- 16-2515001980009 से वर्तमान में आवंटन की राशि	लघु/वृहत मरम्मति हेतु प्रतिवर्ष ₹54372/- प्रति योजना की दर से वित्तीय वर्ष 2025-26 में मरम्मति एवं सम्पाषण हेतु अबतक कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति	
									राशि (लाख में)	राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	हाजीपुर	2925	4373.54775	8308/09.12.25 8373/11.12.25 8340/10.12.25 8459/13.12.25 8446/12.12.25	594.81301 582.25188 236.29907 222.24359 320.81275	2892.80004	1050.00	3942.80004		
7	झंझारपुर	2212	3307.44876	2348/11.12.25 2349/11.12.25	175.64566 95.57544	2495.58981	95.00	2590.59		
8	बेतिया	3490	5218.35270	4106/16.12.25 4127/18.12.25	156.01160 61.35116	2655.37	200.00	2855.37		
9	भागलपुर पूर्व	921	1377.10683	4128/16.12.25 4144/18.12.25	33.39580 81.87131	795.42	100.00	895.42		
10	मधुबनी	2472	3696.20856	3845/16.12.25 4002/26.12.25	299.60614 458.99995	2573.18	290.00	2863.18		
11	मोतिहारी	3005	4493.16615	2026/08.12.25 2025/08.12.25	600.00 400.00	3197.1501	1000.00	4197.15		
12	शेरघाटी	1428	2135.18844	2001/15.12.25	198.59889	763.72939	190.00	953.72939		
13	तेघड़ा	176	263.16048	1408/18.12.25	87.96176	189.00375	70.00	259.00375		
14	बाराहाट	693	1036.19439	1945/20.12.25	290.97536	876.17	150.00	1026.17000		
15	बाँका	552	825.36696	3854/18.12.25	165.45964	626.25	160.00	786.2500		
	कुल	31354	48258.54825		8333.79928	29819.05452	6335.14268	36154.19720		

वर्तमान कुल आवंटन ₹ 6335.14268 लाख में (तिरिसठ करोड़ पैंतीस लाख चौदह हजार दो सौ अड़सठ रुपये) मात्र।

*Prasanna*  
22.11.24

(दया शंकर प्रसाद)

मुख्य अभियंता (दक्षिण विहार)

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)